117

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्र. क्रं.– निगरानी–4603/2018/छतरपुर

सन 2018

बाबूलाल रिछारिया तनय स्व. श्री महादेव प्रसाद रिछारिया निवासी ग्राम गौरगांय, तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.)

....निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म.प्र.

....उत्तरवादी

16.7.18

2-8-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 M. P. L. R. C.

निगरानी विरूद्ध अपील प्र.क्रं. 197/अपील/बी–121/17–18 आदेश दिनांक 11.05.2018 अपर आयुक्त महो, सागर, संभाग (म.प्र.) बाबूलाल रिछारिया बनाम म प्र शासन

महोदय,

16.7.18

निगरानीकर्ता **बाबूलाल रिछारिया** तनय स्व. **श्री महादेव प्रसाद रिछारिया** निवासी ग्राम गौरगांय तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.) का हूँ जो कि निम्न लिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है कि :–

–:: निगरानी के तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्ता बाबूलाल रिछारिया ने आराजी ख.नं. 544 रकवा 0.304 हेक्टर में से 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड बिक्रय पत्र दिनांक 11.11.1975 को क्रय की थी जिसका विधिवत् नामान्तरण तहसीलदार महो, द्वारा राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता के नाम किया गया था। उक्त आराजी के अंश भाग 0.054 एकड (0.016 हेक्टर) में निगरानीकर्ता ने निवास हेतु कमरे का निर्माण कार्य किया था निगरानीकर्ता पेशे से शिक्षक था ग्राम गोरगांय में स्कूल हेतु भवन नहीं था, स्कूल पेड़ों के नीचे लगता था इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा अपना उपरोक्त कमरा स्कूल हेतु इस शर्त पर दिया था कि जब तक स्कूल हेतु नवीन भवन निर्मित नहीं हो तब तक स्कूल हमारे भवन (कमरा) में लगेगा! वर्तमान में ग्राम गौरगांय में स्कूल हेतु नवीन भवन का निर्माण हो गया है स्कूल नवीन भवन में लगने लगा है निगरानीकर्ता का भवन खाली हो गया है किन्तु राजस्व रिकार्ड में कथित आराजी बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के स्कूल के नाम दर्ज हो गया है, इस हेतु निगरानीकर्ता ने रिकार्ड सुधार हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायायल (तहसीलदार महो, छतरपुर) में प्र.क्रं. 635/बी–121/2013–14 के तहत आवेदन दिया था किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो, छतरपुर द्वारा कथित आवेदन समयावधि के बाहर मान कर दिनांक 26.02.2016 को निरस्त कर दिया गया है, निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त आदेश के **विरूद्ध प्रथम अपील प्र. क्रं. 110/अपील/बी–121/2015–16** के तहत अनुविभागीय अधिकारी महो, छतरपुर के न्यायालय में पेश की गई थी, जिसे **अनुविभागीय अधिकारी महो, छतरपुर द्वारा दिनांक 14.12.2016 को अपील स्वीकार** कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो. छतरपुर को निर्देशित किया था कि **"रजिस्ट्रर्ड बिक्रय पत्र के आधार पर परीक्षण उपरांत अभिलेख संशोधन करे"**! निगरानीकर्ता द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में मूल बिक्रय पत्र एवं खसरा पंचशाला की प्रमाणित प्रतियां व स्वंय की साक्ष्य पेश की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रकरण में पुनः रिर्पोट पेश की गई किन्तु इसके बाबजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो, छतपुर म.प्र. द्वारा दिनांक 19.6.17 को निगरानीकर्ता का प्रकरण पुनः मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है" कि परिस्थितियों में कोई बलदाव नहीं हुआ है! जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्र.क्रं. 184/अपील/बी–121/2016–17 पेश की गई, जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर द्वारा दिनांक 18.9.2017 को मनमाने ढग से अपील निरस्त कर दी गई है जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील प्र.क्रं. 197/अपील/बी–121/17–18 आदेश दिनांक 11.05.2018 अपर आयुक्त महोदय सागर, संभाग (म.प्र.) में पेश की थी किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढ़ग से दिनांक 11.5.2018 को अपील निरस्त कर दो गई है जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता निम्नलिखित ठोस एवं सुढ़ढ़ आधारो पर निगरानी सादर पेश करता है कि :–

क्रंमशः .... 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–4603/2018/छतरपुर/भू.रा.

बाबूलाल रिछारिया विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-06–2019	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्हें ग्राहयता की बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 197/अपील/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 11–05–2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्ष 1975 में ग्राम गौरगांव की प्रश्नाधीन भूमि 544 रकबा 0.304 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा रजिस्र्ट विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 11–11–1975 से विक्रय की थी। उक्त भूमि में से अंश रकबा 0.054 एकड़ आवेदक ने स्कूल संचालन हेतु शासन को दे दी। वर्ष 1978–79 से उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन दर्ज चली आ रही थी। आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने बावत प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अभिलेख का परीशीलन कर एवं विधिवत कार्यवाही उपरांत आवेदक का आवेदन निरस्त किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया। अपर आयुक्त द्वारा भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित पाते हुये आवेदक की अपील को निरस्त किया है। आवेदक द्वारा वर्ष 1978 के पश्चात अब इतने लम्बे अवधि के उपरांत भूमि को वापस अपने नाम करने बावत	

17/6/2019

जो कार्यवाही की जा रही है वह बाद की सोच है। एक बार भूमि/भवन शासन को स्कूल हेतु प्रदान करने के उपरांत पुनः प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नजर नहीं आता है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदष्टया ही आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर.के. जैन) 17/6/17
सदस्य